# पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन R&R योजना

प्रस्तावना :– लोहरदगा बाईपास पथ निर्माण योजना हेतू मौजा हरमू, जूरिया, बदला हेतू R&R स्कीम कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2013 एवं झारखण्ड भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप की जायेगी इस स्कीम के प्रारूप को तैयार करने में प्रचलित स्वच्छ प्रकियाओं के साथ–साथ प्रभावित क्षेत्र के सर्वेक्षण, परियोजना क्षेत्र के विश्लेषण एवं क्षेत्रिय महत्व के मुद्दों को आधार बनाया गया है।

परिभाषाएँ:–

क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 है ;

ख) 'झारखण्ड नियमावली' से अभिप्रेत झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2015 है ;

ग) 'प्रशासक' से अभिप्रेत अधिनियम के धारा 43 की उपधारा (1 ) के अधीन प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थानपन के प्रयोजन के लिए नियुक्त जिला के अपर समाहर्ता से है ;

घ) 'प्रभावित क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो समुचित सरकार द्वारा लोहरदगा बाईपास पथ निर्माण योजना हेतु भूमि अर्जन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया गया है ;

ड.) प्रभावित कुटुंब से अभिप्रेत :–

(i) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसकी भूमि या अन्य स्थावर सम्पति का अर्जन किया गया है ;

(ii) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है, किन्तु ऐसे कुटुंब कोई सदस्य या ऐसे कृषि श्रमिक, अभिधारी, जिसमें फलोपयोग अधिकार की किसी भी रूप में अभिधृति या धृति भी है, बटाईदार या कारीगर अथवा वह या वे हो सकते हैं जो भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक प्रभावित क्षेत्र में कार्य कर रहें हों, जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया है;

(iii) ऐसा अनुसूचित जन जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी है, जिन्होनें भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जन जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन मान्यता प्राप्त अपने किसी भी वन्य अधिकार को खो दिया है;

(iv) ऐसा कुटुंब का कोई सदस्य है, जिसे राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी स्कीमों में से किसी के अधीन भूमि सौंपी गई है और ऐसा भूमि अर्जन के अध्यधीन है;

(v) ऐसा कोई कुटुंब है, जो नगरीय क्षेत्रों में भूमि के अर्जन के पूर्व के पूर्ववर्ती तीन या उससे अधिक वर्ष तक किसी भूमि में निवास कर रहा है या जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष तक ऐसा भूमि के अर्जन से प्रभावित हुआ है ;

स्पष्टीकरण :– प्रभावित कुटुंब से मतलब वैसे कुटुंब से है :– i) जिनके भूमि का अर्जन किया जा रहा हो जिस पर उनकी जीविका निर्भर करती हो, या ii) जिनके घर का विस्थापन हो रहा हो या iii) जिनके जीवीका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो रहा हो।

च) – **'विस्थापित कुटुंब'** से ऐसा कोई कुटुंब अभिप्रेत है, जिनका भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है ;

छ) – **'कुटुंब'** के अर्न्तगत ऐसा कोई व्यक्ति, जो पर आश्रित उसकी पत्नी या पति, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई और अवयस्क बहिनें है।

परन्तु विधवाओं और विवाह-विच्छिन्न स्त्रियों और कुटुंबो द्वारा अधित्यजित स्त्रियों को पृथक कुटुंब माना जायगा।

ज) – **'समुचित' सरकार'** से अभिप्रेत राज्य सरकार और इसके अन्तर्गत है, धारा 3 के खंड (e) के परन्तुक के अधिन अधिसूचित क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित जिला का उपायुक्त तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई पदाधिकारी :

झ) –**'समहर्त्ता'** से अभिप्रेत है उपायुक्त और इसके अन्तर्गत है अपर समाहर्त्ता, अपर उपायुक्त और इस अधिनियम के अधिन समाहर्त्ता के सभी अथवा किसी कृत्य को निष्पादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित कोई अन्य पदाधिकारी जैसे जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी:

ञ) –**'आयुक्त'** से अभिप्रेत है अधिनियम के धारा 44 की उपधारा 1 के अधीन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रमण्डलीय आयुक्त ;

ट)– **'पुनर्व्यवस्थपन' क्षेत्र'**से ऐसा अभिप्रेत है जहाँ प्रभावित कुटुंबो को, जो भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप विस्थापित हो गए हैं, समुचित सरकार द्वारा पुनर्व्यवस्थापित किया जाता है;

ठ)– **'परियोजना'** से अभिप्रेत लोहरदगा बाईपास पथ निर्माण योजना से है;

ढ)– **'अपेक्षक निकाय'** से अभिप्रेत पथ निर्माण विभाग झारखण्ड सरकार से है;

उद्देश्य एवं सिध्दांत :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना कार्यक्षेत्र में समुदाय, कुटुंब या व्यक्ति के उपर परियोजना के कारण पड़ने वाले सामाजिक/आर्थिक प्रभावों का पहचान करना और उनका समाधान निकलना है जिसके लिए :-

क)– प्रभावित परिवारों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए उनके लिए पर्याप्त पुनर्वासन मुआवजे एवं इसके त्वरित कार्यान्वयन को पूरा करना।

ख)– समाज के कमजोर तबके खासकर अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति के परिवारों के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करना।

ग) – पुनर्वासन के मुद्दों को विकास योजना एवं कार्यान्वयन योजना में समाहित करना तथा आपसी तालमेल से अधियाची निकाय एवं प्रभावित परिवारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढाना है।

योजना को तैयार करने में प्रयुक्त प्रकिया :–

इस योजना को तैयार करने की सम्पूर्ण प्रकिया, प्रशासक की नियुक्ति, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण को अधिनियम के अनुरूप तैयार किया गया है।

प्रभवित परिवारों की पहचान अंचल अधिकारी, लोहरदगा एवं अंचल अधिकारी, सेन्हा के माध्यम से दरवाजे– दरवाजे जाकर सर्वेक्षण द्वारा एवं उनका सरकारी आकड़ो से मिलान कर तैयार किया गया है।

सर्वेक्षण एवं समाजिक प्रभाव मूल्यांकन से प्राप्त सूचना तथा अधिनियम के प्रावधानों एवं तदनुरूप संदर्भित सरकार के दिशा–निर्देश के आधार पर परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों को अधिनियम के अनुसूचि 2 के अनुरूप योग्यता के हिसाब से परियोजना प्रभावित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों हेतू पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के तत्व को विस्तार में तैयार किया गया है जो कि पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के स्वीकृति के बाद अधिनिर्णय आधार बनेगा।

लोहरदगा बाईपास पथ निर्माण योजना हेतू मौजा कैमो, हरमू, जूरिया, लोहरदगा, तोडार एवं बदला में भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना संख्या 12 दिनांक 09–02–2017 (भूमि अर्जन, पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 11 (1) के तहत् ) निगर्त की गई तदुपरांत अधिनियम की धारा 16 के तहत् प्रभावित कुटुंब की जनगणना हेतु सर्वेक्षण का कार्य अंचल अधिकारी, सेन्हा एवं अंचल अधिकारी, लोहरदगा के माध्यम कराकार अधिनियम के दूसरी अनुसूची के अनुरूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया। तैयार किये गये पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के प्रारूप को आम लोगों के सूचनार्थ समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया (समाचार पत्र का कटिंग सलंग्न) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के प्रारूप समाहरणालय, पंचायत, अनुमंडल कार्यालय एवं अंचल कार्यालय में प्रकाशित किया गया। नियम 25 में विहित रीति से अंचल कार्यालय, लोहरदगा में दिनांक 19.02.2018 एवं अंचल कार्यालय, सेन्हा में दिनांक 20.02.2018 को जन सुनवाई का आयोजन किया गया । परन्तु सुनवाई की तिथि तक कोई आपत्ति या सुझाव किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया । तदुपरांत अधिनियम की धारा 17(1) के तहत् R&R प्रारूप स्कीम को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति के पास पुनर्विलोकन किया गया तथा सुझाव को समाहित करते हुए प्रभावित कुटुबों हेतु निम्न योजना तैयार किया गया ।

| क्र0सं | R&R हकदारी के तत्व | हकदारी / प्रबंध |
|---|---|---|
| 1. | विस्थापन की दशा में आवासन इकाईयों की व्यवस्था | 1,50,000 / - ( एक लाख पचास हजार ) रूपये मात्र की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जायेगी । |
| 2 | विस्थापित कुटुबों की लिए एक वर्ष की अवधि तक | अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक 3000 / - (तीन हजार रूपये मात्र प्रतिमाह प्रति प्रभावित |

| | | |
|---|---|---|
| | | अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित किये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग 50,000/– (पचास हजार) रूपये मात्र के समतुल्य रकम प्राप्त करेंगें । |
| 3. | विस्थापित कुटुबों की लिए परिवहन खर्च | प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हो रहे हैं, को परिवहन खर्च के रूप में 50,000/– (पचास हजार) रूपये मात्र की एक बारगी वित्तीय सहायता दी जायेगी । |
| 4. | पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च | पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये मात्र की एक बारगी वित्तीय सहायता दी जायेगी । |
| 5. | कारिगरों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बारगी अनुदान | किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्य, औद्योगिक या संस्थागत ढाँचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, को 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये मात्र की एक बारगी वित्तीय सहायता दी जायेगी । |
| 6. | एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता | प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को50,000/– (पचास हजार) रूपये मात्र की एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा । |

**Note:-** पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के तहत् मिलने वाली सभी लाभ ऐसे भू स्वामी और कुटुंब दोनों जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर है, के लिए लागु होगें तथा सम्पूर्ण परियोजना काल में केवल एक बार दिये जायेंगें ।

प्रशासक (R&R)
–सह–
अपर समाहर्त्ता, लोहरदगा ।

उपायुक्त,
लोहरदगा ।

आयुक्त (R&R) –सह –
प्रमंडलीय आयुक्त द0 छोटानागपुर
राँची ।